22.07.2023

प्रकरण 'चलित लोक अदालत' में मेरे समक्ष पेश हुआ।

* *

आवेदिका द्वारा श्री प्रदीप शर्मा अधिवक्ता।

अनावेदक द्वारा श्री अशोक शर्मा अधिवक्ता।

प्रकरण राजीनामा आवेदन पर विचार हेतु नियत है।

प्रकरण के अवलोकन से प्रकट है कि आवेदिका द्वारा अनावेदक के विरू0 धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें दिनांक 17.07.2023 को उभयपक्षों ने राजीनामा आवेदन प्रस्तुत कर राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया था।

उभयपक्षों से पूछे जाने पर उन्होंने स्वेच्छया पूर्वक राजीनामा करना तथा मधुर संबंध स्थापित होना व्यक्त किया था आवेदक व अनावेदक की पहचान श्री अशोक शर्मा अधिवक्ता द्वारा की गई थी। उभयपक्ष ने उनके मध्य मधुर संबंध स्थापित होने तथा आपसी वैमनस्यता को दूर करने के लिये तथा मामले के अविलंब निपटारे की सकारात्मक सोच रखते हुए, स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा कर, मामले का निराकरण किया जाना व्यक्त किया है। राजीनामा लोकनीति के विरूद्ध नहीं है। आवेदक राजीनामा करने हेतु सक्षम पक्षकार है।

अतः आवेदन स्वीकार किया जाता है। उक्त आवेदन के आलोक में प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण समय सीमा में अभिलेखागार भेजा जावे।

ANKITA JAIN

Digitally signed by ANKITA JAIN
Date: 2023.07.22 17:49:41 +0530

(अंकिता जैन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सिरोंज जिला विदिशा (म0प्र0)